रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML/2003.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला सोमवार, 6 अक्तूबर, 2003/14 आश्विन, 1925

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय उपायुक्त बिलासपुर, जिला बिलासपुर (हि० प्र०)

कार्यालय आदेश

बिलासपुर, 9 सितम्बर, 2003

संख्या बी० एल० पी०-पंच-6-16/79-III-2498-2504.—उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131(2) तथा (4) के अन्तर्गत निहित हैं, मैं, सुभाषीश पांडा (भा० प्र० से०), उपायुक्त बिलासपुर, जिला बिलासपुर (हि० प्र०) इस जिला के विकास खण्ड सदर की सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के समक्ष वर्णित पदाधिकारियों की मृत्यु के फलस्वरूप रिक्त हुए पदों को तुरन्त प्रभाव से रिक्त घोषित करता हूं :—

अनुसूची

क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	पदाधिकारी का नाम व पता	पद नाम तथा वार्ड का नाम	मृत्यु की दिनांक
1.	सदर	बामटा	श्रीमती गुरदासी पत्नी श्री रामदित्, गांव व डा० बामटा, जिला बिलासपुर (हि० प्र०)।	पंच वार्ड नं० 4 बामटा	24-2-03
2.	-यथो-	बिनौला	श्री जग्गा राम सुपुत्र स्व० श्री बल्लूराम, गाव सूंगल, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि० प्र०)।	पंच वार्ड नं० 4 बिनौला	3-2-03

कारण बताओ नोटिस

बिलासपुर, 18 सितम्बर, 2003

संख्या बीएलपी-पंच-2649-53.—यह कि श्री श्याम लाल, सदस्य, ग्राम पंचायत बामटा, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के ग्राम पंचायत बामटा के परिवार रजिस्टर भाग 1 की प्रमाणित प्रति अनुसार तीन सन्तानें हैं जिनमें से अन्तिम सन्तान लड़की दिनांक 12-6-2003 को पैदा हुई है।

और यह कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) (ण) के प्रावधान अनुसार कोई व्यक्ति पंचायत का पदाधिकारी चुने जाने या होने के लिए निरर्हित होगा :—

(ण) "यदि उसके दो से अधिक सन्तान है। परन्तु खण्ड (ण) के अधीन निरर्हता उस व्यक्ति को लागू नहीं होगी जिसके, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 के प्रारम्भ होने की तारीख पर या ऐसे प्रारम्भ के एक वर्ष की अवधि के भीतर दो से अधिक जीवित सन्तान हैं, जब तक उसकी एक वर्ष की अवधि के पश्चात और सन्तान नहीं होती"।

और यह कि उक्त श्री श्याम लाल, सदस्य, ग्राम पंचायत बामटा के हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 के संख्यांक-18 के दिनांक 8-6-2001 से लागू होने के उपरान्त दिनांक 12-6-2003 को तीसरी सन्तान पैदा हुई है जिसके फलस्वरूप उक्त श्री श्याम लाल, सदस्य, ग्राम पंचायत बामटा, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 122 (1) (ण) के प्रावधानानुसार पंचायत पदाधिकारी होने के योग्य नहीं रहता।

अतः मैं, सुभाषीश पांडा, उपायुक्त, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (2) (ii) के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री श्याम लाल, सदस्य, ग्राम पंचायत बामटा को एतद्द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करता हूं तथा उन्हें अवसर प्रदान करता हूं कि वह इस नोटिस के जारी होने के एक सप्ताह के भीतर-भीतर लिखित रूप में अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा उनके विरुद्ध हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 (क) के अधीन कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

बिलासपुर, 18 सितम्बर, 2003

संख्या बी एलपी-पंच-2654-58.—यह कि श्री विजय कुमार, सदस्य, ग्राम पंचायत अमरपुर, विकास खण्ड झण्डूता, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के ग्राम पंचायत अमरपुर के परिवार रजिस्टर भाग-1 की प्रमाणित प्रति अनुसार तीन सन्तानें हैं जिनमें से अन्तिम सन्तान लड़का दिनांक 9-1-2003 को पैदा हुआ है।

और यह कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1)(ण) के प्रावधान अनुसार कोई व्यक्ति पंचायत का पदाधिकारी चुने जाने या होने के लिए निरर्हित होगा :—

(ण) "यदि उसके दो से अधिक सन्तान है। परन्तु खण्ड (ण) के अधीन निरर्हता उस व्यक्ति को लागू नहीं होगी जिसके, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 के प्रारम्भ होने की तारीख पर या ऐसे प्रारम्भ के एक वर्ष की अवधि के भीतर दो से अधिक जीवित सन्तान है, जब तक उसकी एक वर्ष की अवधि के पश्चात् और सन्तान नहीं होती"

और यह कि उक्त श्री विजय कुमार, सदस्य, ग्राम पंचायत अमरपुर के हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 के संख्यांक-18 के दिनांक 8-6-2001 से लागू होने के उपरान्त दिनांक 9-1-2003 को तीसरी सन्तान पैदा हुई है जिसके फलस्वरूप उक्त श्री विजय कुमार, सदस्य, ग्राम पंचायत अमरपुर, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 122(1)(ण) के प्रावधानानुसार पंचायत पदाधिकारी होने के योग्य नहीं रहता।

अतः मैं, सुभाषीश पांडा, उपायुक्त, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(2)(ii) के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री विजय कुमार, सदस्य, ग्राम पंचायत अमरपुर को एतद्द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करता हूं तथा उन्हें अवसर प्रदान करता हूं कि वह इस नोटिस के जारी होने के एक सप्ताह के भीतर-भीतर लिखित रूप में अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा उनके विरुद्ध हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131(क) के अधीन कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

सुभाषीश पांडा,
उपायुक्त,
जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

कार्यालय उपायुक्त, जिला किन्नौर स्थित रिकांग-पिओ (हि० प्र०)

अधिसूचना

रिकांग-पिओ, 10 सितम्बर, 2003

संख्या कनर-2003/-9895-9901.—पंचायत समिति निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष श्री अशोक नेगी के विरुद्ध जिला पंचायत अधिकारी, जिला किन्नौर स्थित रिकांग पिओ, (हि०प्र०) की अध्यक्षता में दिनांक 9-9-2003 को आयोजित विशेष बैठक में अविश्वास प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो जाने के फलस्वरूप मैं, मनीष गर्ग (भा०प्र०से०), उपायुक्त, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131(2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंचायत समिति निचार के अध्यक्ष के पद को रिक्त घोषित कर इस रिक्त पद की अधिसूचना जारी करता हूं।

कार्यालय आदेश

रिकांग पिओ, 17 सितम्बर, 2003

संख्या कनर-739/90-10012.—श्री ज्ञान चन्द पुत्र श्री श्याम सुख, निवासी ग्राम नाथपा, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश को वार्ड न० 2 (नाथपा व कामफनू) से पंचायत समिति निचार का सदस्य निर्वाचित हुआ था को इस कार्यालय के आदेश संख्या कनर-734/90-9810-16, दिनांक 1-9-2003 द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 की धारा 122(1)(ओ) के उल्लंघन करने के कारण निरर्हित किया गया है।

अतः मैं, मनीष गर्ग, उपायुक्त, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131(2) के अन्तर्गत उपरोक्त सदस्य, पंचायत समिति निचार के पद को दिनांक 1-9-2003 से रिक्त घोषित करता हूं।

रिकांग-पिओ, 17 सितम्बर, 2003

संख्या कनर-739/90-10002.—श्री नेत राम पुत्र श्री लखम सुख, गांव उरनी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश जो ग्राम पंचायत उरनी में उप-प्रधान के पद पर निर्वाचित हुआ था को इस कार्यालय के आदेश संख्या कनर-734/90-9303-10, दिनांक 1-9-2003 द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 की धारा 122(1) (ओ) के उल्लंघन करने के कारण निरर्हित किया गया है ।

अतः मैं, मनीष गर्ग, उपायुक्त, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131(2) के अन्तर्गत उपरोक्त उप-प्रधान, ग्राम पंचायत उरनी के पद को 1-9-2003 से रिक्त घोषित करता हूं ।

रिकांग-पिओ, 17 सितम्बर, 2003

संख्या कनर-739/90-9993/97.—श्री शेर सिंह पुत्र श्री धनवीर सिंह निवासी सुंगरा (भावानगर), तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश जो ग्राम पचायत सुंगरा में उप-प्रधान के पद पर निर्वाचित हुआ था को इस कार्यालय के आदेश संख्या कनर-7012-18 दिनांक 10-7-2003 द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1) (सी) के उल्लंघन करने के कारण निरर्हित किया गया है ।

अतः मैं, मनीष गर्ग, उपायुक्त, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131(2) के अन्तर्गत उपरोक्त उप-प्रधान, ग्राम पंचायत सुंगरा के पद को 10-7-2003 से रिक्त घोषित करता हूं ।

रिकांग पिओ . सितम्बर, 2003

संख्या कनर-739/90-10007.—श्री हरबंस सिंह पुत्र श्री मोहर सिंह, निवासी गांव सुंगरा, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश जो ग्राम पंचायत सुंगरा में प्रधान के पद पर निर्वाचित हुआ था को इस कार्यालय के आदेश संख्या कनर-9795-9802, दिनांक 1-9-2003 द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) (सी0) के उल्लंघन करने के कारण निरर्हित किया गया है ।

अतः मैं, मनीष गर्ग, उपायुक्त, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131(2) के अन्तर्गत उपरोक्त प्रधान, ग्राम पंचायत सुंगरा के पद को दिनांक 1-9-2003 से रिक्त घोषित करता हूं ।

मनीष गर्ग,
उपायुक्त,
जिला किन्नौर स्थित रिकांग-पिओ,
हिमाचल प्रदेश ।

कार्यालय उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

कार्यालय आदेश

मण्डी, 16 सितम्बर, 2003

क्रमांक पी0 सी0 एन0-एम0 एन0 डी0/2001-5457-62.—हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 130 व 131 (4) तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 135(3)

के अनुसरण में, उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) की पंचायत समिति द्रंग स्थित पधर की उपाध्यक्षा श्रीमती कुन्ती ठाकुर का त्याग-पत्र तुरन्त प्रभाव से स्वीकार करता हूं तथा पंचायत समिति द्रंग स्थित पधर के उपाध्यक्ष पद को रिक्त घोषित करता हूं ।

हस्ताक्षरित/-
उपायुक्त,
मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ।

कार्यालय उपायुक्त शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

कारण बताओ नोटिस

शिमला, 17 सितम्बर, 2003

संख्या पी0 सी0 एच0-एस0 एम0 एल0 (दो बच्चे)/2002-5558.—एतद्द्वारा श्रीमती मीना, सदस्या, ग्राम पंचायत पुजारली (ब्योलिया) वार्ड मैहली, विकास खण्ड मशोबरा, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश का ध्यान हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) खण्ड (ण) की ओर आकृष्ट किया जाता है, जो कि निम्नत: है :

"(ण) यदि उसके दो से अधिक जीवित सन्तान है, परन्तु खण्ड (ण) के अधीन निरर्हता उस व्यक्ति को लागू नहीं होगी जिसके, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधित) अधिनियम, 2000 के प्रारम्भ होने की तारीख पर या ऐसे प्रारम्भ के एक वर्ष की अवधि के पश्चात् और संतान नहीं होती है ।"

अत: क्योंकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 जो कि 8 जून, 2001 से लागू हो चुका है तथा धारा 122 के खण्ड (ण) के प्रावधान अनुसार 8-6-2001 के पश्चात् यदि किसी पंचायत पदाधिकारी के इस प्रावधान के लागू होने से पूर्व 2 या 2 से अधिक सन्तान है तथा उक्त प्रावधान लागू होने के पश्चात् और अतिरिक्त संतान/संतान पैदा होती है तो वह पंचायती राज संस्था में पदासीन रहने के अयोग्य होगा ।

यह कि खण्ड विकास अधिकारी मशोबरा ने अपने पत्र संख्या एम0 बी0/2003-1107, दिनांक 12-8-2003 द्वारा इस कार्यालय को सूचित किया है कि दिनांक 8-12-2002 को तीसरी सन्तान उत्पन्न हुई है जिसका इन्द्राज पंचायत के जन्म पंजीकरण रजिस्टर भाग-1 के पृष्ठ 29 को दिनांक 19-12-2002 में दर्ज है जो कि पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (ण) के अन्तर्गत वर्णित अयोग्यता में आता है ।

अत: मैं, एस0 के0 बी0 एस0 नेगी, उपायुक्त शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 122 (2) तथा 131 (2) के प्रावधान अनुसार उक्त श्रीमती मीना, सदस्या, ग्राम पंचायत पुजारली (ब्योलिया) वार्ड मैहली को निर्देश देता हूं कि वह इस कारण बताओ नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर-भीतर लिखित रूप में अपना उत्तर खण्ड विकास अधिकारी मशोबरा के माध्यम से प्रस्तुत करें अन्यथा उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के उक्त प्रावधान अनुसार ग्राम पंचायत पुजारली (ब्योलिया) के वार्ड मैहली से सदस्य पद को रिक्त घोषित कर दिया जाए । उनका उत्तर निर्धारित अवधि तक प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जाएगा कि उन्हें अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा तदोपरान्त उनके विरुद्ध एक तरफा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी ।

कार्यालय आदेश

शिमला, 20 सितम्बर, 2003

संख्या पी0 सी0 एच0-एस0 एम0 एल0 (दो बच्चे)/2002-5636.—यह कि प्रधान, ग्राम पंचायत बल्देयां, विकास खण्ड बसन्तपुर से प्राप्त सूचना अनुसार श्रीमती गीता देवी, वार्ड संख्या 7—मान्दर, ग्राम पंचायत बल्देयां ने अपनी दो जीवित सन्तान के होते हुए, दिनांक 9-4-2002 को तीसरी सन्तान पैदा करके, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) की उल्लंघना की है। इस सम्बन्ध में उसे इस कार्यालय के पत्र संख्या पी0 सी0 एच0-एस0 एम0 एल0 (दो बच्चे)/2002-335-41, दिनांक 6-8-2003 के अन्तर्गत जारी नोटिस अनुसार अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया था।

यह कि उक्त श्रीमती गीता देवी, सदस्या, ग्राम पंचायत बल्देयां ने इस कार्यालय द्वारा जारी उक्त नोटिस के सम्बन्ध में अपने पत्र दिनांक 23-8-2003 के अन्तर्गत प्रेषित उत्तर में बात को सही माना है कि दो जीवित सन्तानों के होते हुये उसके तीसरी सन्तान पैदा हुई है।

यह कि खण्ड विकास अधिकारी, बसन्तपुर की रिपोर्ट अनुसार उक्त श्रीमती गीता देवी, सदस्या, ग्राम पंचायत बल्देयां की तीसरी सन्तान उत्पन्न हुई है। जिससे स्पष्ट होता है कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 की धारा 19 द्वारा अन्त स्थापित खण्ड (ण) की उल्लंघना करते हुये, 8-6-2001 के पश्चात् अर्थात् 9-4-2002 को तीसरी सन्तान पैदा करके वह उक्त ग्राम पंचायत के सदस्य पद पर बने रहने के लिये निर्हित हो गई है।

अतः मैं, एस0 के0 बी0 एस0 नेगी, उपायुक्त, शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (2) के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की संशोधित धारा 122 (1) की उल्लंघना करने पर श्रीमती गीता देवी, सदस्या, वार्ड संख्या 7—मन्दिर, ग्राम पंचायत बल्देयां को ग्राम पंचायत सदस्या पद पर बने रहने के लिए अयोग्य घोषित करता हूं तथा उक्त अधिनियम की धारा 131 (2) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बल्देयां के वार्ड संख्या 7—मान्दर के सदस्य पद को रिक्त घोषित कर यह आदेश देता हूं कि उसके पास ग्राम पंचायत की किसी भी प्रकार की कोई देनदारी हो तो उसे तुरन्त सम्बन्धित ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी अथवा पंचायत सहायक, ग्राम पंचायत बल्देयां को सौंप दे।

एस0 के0 बी0 एस0 नेगी,
उपायुक्त, शिमला,
जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

कार्यालय उपायुक्त ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

ऊना, 4 अगस्त, 2003

म0 पंच-ऊना (4) 67/92-135-40.—यह कि श्री सतपाल पुत्र श्री देवराज, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत [illegible], विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना को इस कार्यालय द्वारा कारण बताओ नोटिस संख्या पंच-ऊना (4)-67/92-2066, दिनांक 17-2-2003 के अन्तर्गत 15 दिनों के भीतर-भीतर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए

गए थे कि क्यों न उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1)(बी) के अन्तर्गत अपने पद पर पदासीन रहने के अयोग्य घोषित किया जावे ।

यह कि उन्होंने कारण बताओ नोटिस का उत्तर श्री राज कुमार धनोटिया, एडवोकेट डिवीजनल कोर्ट अम्ब, जिला ऊना द्वारा प्राप्त हुआ है जिसमें श्री सतपाल, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत कलरूही के सम्बन्ध में अपना पक्ष पेश करते हुए अपना उत्तर प्रेषित किया है जो कि मान्य नहीं है चूंकि उन्होंने वर्णित किया है कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज ऐक्ट की धारा 122(1)(बी) भारतीय वन विभाग की ऐक्ट की धारा 41, 42 इस पर लागू नहीं होती है जोकि तर्कसंगत हो नहीं परन्तु सरासर गलत है । चूंकि इस बारे अतिरिक्त सचिव (पंचायत) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला ने अपने पत्र संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0 (5) 90/91-31257, दिनांक 27-11-2002 में वर्णित किया है कि वन ऐक्ट की धारा 41 और 42 अभी वर्ष 2002 में सम्मिलित की गई है । अतः उत्तर सन्तोषजनक एवं मान्य नहीं ।

यह कि उन्होंने अपना उत्तर खण्ड विकास अधिकारी, अम्ब, जिला ऊना के माध्यम से भी प्रेषित किया है जिसमें खण्ड विकास अधिकारी अम्ब ने अपनी टिप्पणी अनुसार श्री सतपाल, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत कलरूही, दोषी है और उनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावे। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि श्री सतपाल उप-प्रधान, ग्राम पंचायत कलरूही, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना दोषी पाए गए हैं ।

अतः मैं, रजनीश (भा0प्र0से0), उपायुक्त, ऊना, हिमाचल प्रदेश, श्री सतपाल, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत कलरूही को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1)(बी) तथा 122(2)(II) के अधीन उप-प्रधान पद पर पदासीन रहने से अयोग्य घोषित करता हूं तथा हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131(1) व (2) के प्रावधान की अनुपालना में श्री सतपाल, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत कलरूही, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना के पद को रिक्त घोषित करता हूं ।

रजनीश (भा0प्र0से0),
उपायुक्त, ऊना,
जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित